न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1).(क)/(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद सं0 11 वर्ष 2025–26

आवेदक– मनोज रविदास — केता– राज कुमांर रविदास

ग्राम– होसिर — ग्राम– गोमिया

थाना– गोमिया जिला–बोकारो — थाना– गोमिया जिला–बोकारो

आदेश की क्रसं0 तारीख 01	आदेश एंव पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की कार्रवाई के बा टिप्पणी तारीख 03
21/5/25		

आदेश

यह वाद **आवेदक–मनोज रविदास पिता–स्व0 रामेश्वर रविदास वर्तमान पता–ग्राम– होसिर (मियाँ बांध), पो0–होसिर, थाना–गोमिया, जिला–बोकारो** के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
होसिर	**123**	**383**	**899**	**09½ डी0**	**03 डी0**	**रैयती दोन दो, वर्त्तमान स्वरूप परती**

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो 1,24,000/–(एक लाख चौबिस हजार) रूपये में **क्रेता–राज कुमार रविदास पिता–रामचन्द्र रविदास, वर्त्तमान निवास स्थान, पता–ग्राम– होसिर (बगियाटोला), पो0–होसिर, थाना–गोमिया, जिला–बोकारो** के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1).(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 882/रा0, दिनांक 29.04.2025 के माध्यम से अंचल अधिकारी गोमिया से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी गोमिया के पत्रांक–984, दिनांक–15.05.2025 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया हैं किः–

01. क्रेता एवं बिक्रेता दोनों की जाति के चमार है। जो अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला–बोकारो के निवासी हैं।
02. बिकी की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में रघुनाथ चमार के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0– 114, भौलुम सं0–18 पर मनोज रविदास के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 2008–09 से 2022–23 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार दाखिल–खारीज केश सं0 267/07–08 प्राधिकार कॉलम में दर्ज है।
03. जमाबन्दीधारी रैयत स्वयं बिक्रेता है। बिकी की जाने वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अतंर्गत आता है एवं बिकेता का दखल कब्जा में हैं।
04. प्रस्तावित भूमि भू–हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि तथा अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिकेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ ...दन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिकेता द्वारा अपने ... बतलाया गया हैं कि आवेदनाकिंत जमीन सर्वे खतियान में रघुनाथ चमार के नाम से दर्ज हैं ...री अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0– 114, भौलुम सं0–18 पर मनोज रविदास के नाम से ...यम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 2008–09 से 2022–23 तक निर्गत हैं। बिकी वाली जमीन ...से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

... कहना है कि उन्होने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद नहीं ...ें आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते है:-

01. बिकेता केवाला की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. केता– आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनो पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि क्रेता एवं बिक्रेता दोनों की जाति से चमार है। जो अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आवेदित भूमि बिकेता के हिस्से की जमीन है जो केवाला घरेलु बँटवारा के आधार पर हासिल हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः **आवेदक– मनोज रविदास पिता–स्व0 रामेश्वर रविदास वर्तमान पता–ग्राम–होसिर (मियाँ बांध), पो0–होसिर, थाना–गोमिया, जिला–बोकारो** को निम्नांकित भूमि–

मौजा	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द0 सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
होसिर 123	**383**	**899**	**09½ डी0**	**03 डी0**	**लटलु रविदास**	**मिठु रविदास**	**नीज लेख्यकारी**	**मनोज रविदास**
			कुल	03 डी0 (तीन डिसमिल जमीन मात्र)				

मो0 1,24,000/–(एक लाख चौबिस हजार) रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनत्म भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से **क्रेता–राज कुमार रविदास पिता–रामचन्द्र रविदास, वर्त्तमान निवास स्थान, पता–ग्राम– होसिर (बगियाटोला), पो0–होसिर, थाना–गोमिया, जिला–बोकारो** के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by Mukesh Machhuwa
Date: 2025.11.07 12:33:30 +05:30
Location: 10.93.6.142